

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Leave To Appeal No. 320/2025

Lakhi Prasad S/o Gokul Chand

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Appellant(s)	:	Ms. Ritu Sharma for Mr. Tanay Jainp
For Respondent(s)	:	Mr. Shriram Dhakar, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

26/02/2026

अधीनस्थ न्यायालय— अपर सेशन न्यायाधीश, कम-01, नीम का थाना, जिला—सीकर द्वारा दांडिक अपील संख्या 24/2017 में पारित निर्णय दिनांकित 17.09.2025, जिसके तहत प्रत्यर्थी—अभियुक्त अश्वनी कुमार को अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट से दोषमुक्त किया गया है, के विरुद्ध अपीलार्थी/परिवादी की ओर से अपील अनुमति याचिका पेश की गई है।

सुना गया, अभिलेख एवं आक्षेपित निर्णयों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा योग्य अधिवक्ता परिवादी के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना, प्रथमदृष्टया प्रस्तुत अपील अनुमति याचिका स्वीकार की जाती है एवं आदेश दिया जाता है कि इस अपील अनुमति याचिका को नियमित अपील के रूप में दर्ज किया जाए।

प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जावें।

प्रत्यर्थी संख्या-1/राज्य की ओर से योग्य लोक अभियोजक नोटिस स्वीकार करते हैं।

प्रत्यर्थी संख्या-2/परिवादी को इस अपील अनुमति याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया जावे।

पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /87